Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ISSN: 2581-6241 Volume - 3, Issue - 3, May-June – 2020
Bi-Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Impact Factor: 3.589
Received on : 25/05/2020 Accepted on : 09/06/2020 Publication Date: 30/06/2020

राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में वैकल्पिक भूमि उपयोग

पंकज कुमार,
रिसर्च स्कॉलर, भूगोल विभाग, एस.पी.सी राजकीय महाविद्यालय , अजमेर
महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर, राजस्थान,
Email - pankajntn@gmail.com

शोध सारांश : किसी भी क्षेत्र के लिए उचित भूमि उपयोग या वैकल्पिक भूमि-उपयोग के साथ-साथ मृदा प्रबंधन आवश्यक होता है। राजस्थान के शुष्क मरू प्रदेशों में वैकल्पिक भूमि उपयोग के अंतर्गत वानिकी चारागाह, औषधीय पौधों की कृषि, शुष्क क्षेत्र बागवानी आदि अधिक महत्वपूर्ण है यहां पर कृषि बागवानी से कृषको को अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते है। इस प्रकार शुष्क तथा अर्द्धशुष्क क्षेत्र जहॉ पर सिंचाई का साधन वर्षा होती है वहॉ वैकल्पिक भूमि उपयोग की सहायता से भूमि मे सुधार किया जा सकता है।

संकेताक्षर : मृदा संसाधन, वायुगत क्रियाए, कृषि उत्पादकता, वानिकी-उद्यानिकी ।

इस प्रदेश में भूमि के वैकल्पिक उपयोग का कार्य कृषि कार्य के साथ.साथ निरंतर बढ़ रहा है क्योंकि वर्तमान में यहॉ जनसंख्या भी पहले या पूर्व वर्षों की तुलना में वृद्धि कर रही है और बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान की मांग भी बढ़ रही है। इसके साथ ही जहॉ जनसंख्या में वृद्धि हो रही है वहॉ पशुसंख्या में भी वृद्धि दर्ज की गई है जिसके चलते चारे की मांग उतरोतर बढ़ रही है।

सूखे तथा प्रतिकूल मौसम के प्रभाव को कम करने के लिए यहां के किसानो द्वारा मिश्रित बुवाई की जाती है, जिसमें सामान्य रूप से बाजरा, मूंग, ग्वारफली, तिल तथा मोठ के मिश्रण से खेती की जाती है। "सभी किसान (छोटे, सीमांत और मध्यम) बीजों का सही मिश्रण मोटे रूप से उपयोग करते है क्योंकि इससे दाल तथा तिलहन के मिश्रण या केवल ग्वारफली बोने से होने वाले जोखिम के व्यापक खतरों से बचाव और उच्च आर्थिक लाभ प्राप्त होता है।

राजस्थान के शुष्क प्रदेश अर्थात् उसके पश्चिमी भाग के कुल भोगोलिक क्षेत्र 208,751 वर्ग किमी में से कृषि के अंतर्गत रिर्पोट किया गया क्षेत्र 208,228 वर्ग किमी है, इसका कुल खेती करने योग्य क्षेत्र 66.56 प्रतिशत है। जिसमे 52.67 प्रतिशत कुल जोती गयी भूमि है तथा 13.89 प्रतिशत भाग पड़ती भूमि के अंतर्गत आता है। पश्चिमी राजस्थान में राज्य के कुल जोते गये क्षेत्र के 74.5 प्रतिशत भू.भाग पर बाजरा, 45.5 प्रतिशत में ग्वार, 99.75 प्रतिशत में मोठ, 77.19 प्रतिशत में मूंग, 44.41 प्रतिशत पर तिल, 75.53 प्रतिशत पर मूंगफली, 33.04 प्रतिशत पर सरसों, 97.61 प्रतिशत पर जीरा, 98.52 प्रतिशत पर इसबगोल ओर 61.98 प्रतिशत पर मेथी बोई जाती है। (क्रेन्दीय संख्यिकी 2009-10)

राजस्थान के शुष्क मरू प्रदेशों में वैकल्पिक भूमि उपयोग के अंतर्गत वानिकी चारागीह, औषधीय पौधे की कृषि, शुष्क क्षेत्र बागवानी, कृषि वानिकी बागवानी चारागाह, कृषि बागवानी आदि अधिक महत्वपूर्ण है कृषि वानिकी द्वारा जब पेड़.पौधों.झाड़ियों ओर फसलों का युग्मीकरण होता है तो मृदा की उत्पादकता वृद्धि के साथ.साथ जैविक.सक्रियता भी बढ़ जाती है। इस प्रकार कृषि वानिकी का उद्देश्य भूमि या कृषि भूमि पर कृषि फसलों तथा वृक्ष प्रजातियों को विधिपूर्वक रोपित कर दोनों प्रकार की उपज लेकर आय बढ़ाना है इसके अंतर्गत एक कृषि वर्श में ही विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती एक ही खेत में की जाती है। यह कृषि पद्धति किसानों के लिए आर्थिक लाभकारी होने के साथ.साथ भूमि सुधार प्रक्रिया में भी सहायक है।

कृषको के लिए फसल एवं फसल प्रणाली का चुनाव करना या चुनाव को अहुत से कारक प्रभावित करते है जिनमें रोजगार का सृजन, मृदा सरंक्षण, शुष्क का ज्ञान, खाद्य, चारा, आय के साधन आदि महत्वपूर्ण है वैकल्पिक भूमि का उपयोग करना शुष्क तथा अर्द्धशुष्क प्रदेशों के लिए पैदावार तथा आय को बढ़ाने का एक अच्छा विकल्प है। शुष्क प्रदेशों की मृदा मे इन विधियों द्वारा पोषक तथ्वों का संतुलन भी बना रहता है तथा मृदा उपजाऊ बनी रहती है।

शुष्क क्षेत्रों हेतु अनेक वैकल्पिक भूमि उपयोग प्रणालियां होती है, जिनमें से कुछ इस प्रकार है:-.

- मूंग, मोठ, ज्वार आदि दलहनी फसलों का उत्पादन नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले पौधे जैसे सबबूल, खेजड़ी, केर, घामन शिरीष आदि के साथ किया जा सकता है।
- रेशे प्रदान करने वाली झाड़ियों के साथ इमारती लकड़ी प्रदान करने वाले वृक्षों को उगाया जा सकता है।
- बागवानी फसलों के साथ जल्दी बड़े होने वाले वृक्षों जिनमें सूबबूल, शीशम, केसूनिया नीम आदि को वार्षिक फसलों के साथ रोपित किया जा सकता है।
- वानिकी.उद्यानिकी तंत्र के अंतर्गत अंजीर, अनार, सीताफल, बेर, फालसा के साथ कतार में समान दुरी रखते हुए वृक्षों की प्रजातियों को लगाना चाहिए।
- उद्यानिकी.पशुपालन तंत्र जिसमें घामन, अंजन तथा स्टाइलोसेन्थस हमारा आदि के साथ नीम, बेर, इजरायली बबूल, अमरूद आदि को उगाना चाहिए इसके द्वारा पशुओं हेतु चारा भी उपलब्ध हो जाता है ।

कृषि बागवानी द्वारा किसानों को अनेक प्रकार के लाभों की प्राप्ति होती है।

- कृषि उत्पादकता में वृद्धि ।
- फलों से स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है।
- फलों को अगर बाजार में बेचा जाता है तो वह भी आय के अच्छे तथा निरंतर स्रोत बनते है।
- शुष्क क्षेत्रोय मृदा में अलग से पोषक तत्वों पर अधिक खर्च करने की आवश्यकता नही पड़ती क्योंकि इस प्रक्रिया में मृदा स्वतः उपजाऊ बनी रहती है।

इस प्रकार शुष्क तथा अर्द्धशुष्क क्षेत्र जहां पर सिचांई का साधन वर्षा होती है वहां वैकल्पिक भूमि उपयोग की सहायता से भूमि में सुधार किया जा सकता हैए इसके अतिरिक्त इन प्रदेशों में ये रोजगार के साधन के रूप में भी सहायक होते है। शुष्क प्रदेशों में वायुगत क्रियाओं तथा वर्षा ऋतु में जलगत क्रियाओं द्वारा जो अपरदन तथा मृदा ह्रास होता है उसे वैकल्पिक भूमि उपयोग द्वारा कम किया जा सकता है तथा कृषक इससे लाभान्वित होते है।

संदर्भ सूची:

1. गुप्ता, डॉ. मोहनलाल- जोधपुर संभाग का जिलेवार सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक अध्ययन- राजस्थानी ग्रंथागार, जोधपुर.
2. भल्ला, डॉ. एल.आर (2003-2004) "राजस्थान का भूगोल" कुलदीप पब्लिकेशन, अजमेर.
3. कौशिक एवं गर्ग, "संसाधन एवं पर्यावरण "रस्तोगी पब्लिकेशन, शिवाजी रोड़, मेरठ.
4. वी.सी. झा, "लैण्ड डिग्रेडेशन एण्ड डैजर्टीफिकेशन" रावत पब्लिकेशन्स, 2003.
5. मडीरेडी वी. शुभाराव "साइल कन्जरवेशन मैनेजमैन्ट एण्ड एनालिसिस" दया पब्लिकेशन हाउस, 2014.